न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 04 / 2023 / बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
1. गोसाईराम पुत्र पुनमाराम उम्र 50 वर्ष जाति जाट निवासी झरी तहसील शिव जिला बाड़मेर	1. चन्दू पुत्री देवाराम 2. सारो पुत्री देवाराम 3. गंगा पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी झरी हाल निवासी भीमड़ा 4. राउराम पुत्र देवाराम 5. चम्पादेवी पत्नी कलाराम जाति जाट निवासी झरी तहसील शिव जिला बाड़मेर 6. तहसीलदार शिव

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 121 / 2018 बअनवान चन्दू बनाम राउराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री ओमप्रकाश विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेटस बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—31.08.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा झरी तहसील शिव के खेत खसरा संख्या 561, 660 / 561, 548, 558 रकबा क्रमशः 163.02, 16.17, 317.05, 88 बीघा कुल रकबा 725.04 बीघा में वादी एवं प्रतिवादीगण को विरासत में प्राप्त हुए है उक्त खातेदारी खेत पुश्तैनी है जो वक्त सेटलमेंट में वादी के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 4 के पिता स्व. देवाराम के नाम खातेदारी में दर्ज हुई तथा पूनमाराम के फोत होने पर गोसाईराम का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। लेकिन वास्तविक रूप से मौके पर स्व. देवाराम के देहान्त के बाद वादी एवं प्रतिवादी के पूर्वज देवाराम के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ। देवाराम के 02 पुत्र व 3 पुत्रियां थी लेकिन देवाराम की फौतगी पर केवल पुत्रों के नाम से नामान्तरकरण भरा गया। इसलिए पुत्रीयां भी देवाराम की भूमि बराबर की हकदार है उक्त वाद में राउराम बिना नोटिस दिये उपस्थित हुआ तथा वाद दिनांक 31.10.2019 को अदम पैरवी में खारिज हो गया जो दिनांक 09.04.2021 को पुनः बरामद हुआ तथा तलबी हेतु नियत कर नोटिस जारी करने का आदेश दिनांक 09.07.2021 को हुआ परन्तु जिस अवधि में दावा न्यायालय में विचाराधीन था ही नहीं उस अवधि के नोटिस पेश कर न्यायालय के नोटिसों की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तारीखों का बिना अवलोकन किये अपीलांटस को बिना विधिक तलबी दिनांक 12.05.2022 को एकतरफा कार्यवाही की गई तथा उसके बाद राउराम ने ब्यान करवाकर एक राजीनामा पेश कर उतरदाता संख्या 01 से 03 को अपीलांट व राउराम के साथ सह खातेदार घोषित कर दिया तथा हाथो हाथ नामानतकरण करवाकर उक्त सम्पूर्ण आराजी राउराम के नाम कर दी गई तथा अपीलांट के 1/2 हिस्से को 1/5 हिस्से में बदल दिया गया तथा उसको कानो कान खबर तव नहीं होने दी इसके बाद अपीलांट द्वारा अपने खेत की पत्थर गढ़ी का आवेदन पेश करने पर अपीलांटस को अपीलाधीन आलोच्य आदेश की जानकारी हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद सूचना एवं तामील के अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थिति वकील अपीलांटस की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जो नोटिस लगे है उनके साथ पेश डीलिवर सूचना में शिव मुख्यालय द्वारा जारी नोटिस को गडरा रोड़ में डाकघर में रजिस्ट्री करवाना पुरे प्रकरण को संदेह में लाता है तथा उक्त नोटिस किसी अन्य पत्रावली में दिनांक 19.02.2021 को रेकर्ड पर आने से इन्ही नोटिसों को दुसरी पत्रावली में शामिल करना पीठासीन अधिकारी की नियत पर गहने सवाल उठाते है इस प्रकार दुर्भी संधि से किसी एक व्यक्ति के कहने से अजनबी लोगो को खातेदारी देकर षड़यन्त्र पूर्वक एक खातेदार का हिस्सा उसे बिना नोटिस दिये बिना सुने अन्य खातेदार के नाम कर देना अनुचित व अवैध होने से खारिज योग्य है, साथ ही एक व्यक्ति के नाम दर्ज 362 बीघा भूमि में से 217 बीघा भूमि षड़यन्त्र पूर्वक किसी अन्य के नाम करना देना उसके साथ भारी अन्याय है। अपीलांट के 1 वर्ष की उम्र में माता का देहान्त हो जाने तथा इस भूमि के 1/2 हिस्से के हकदार हरनाथ की पत्नी द्वारा इसे पालपोश कर बड़ा किया गया तथा हरनाथ की इकलोती पुत्री भीखादेवी ने अपना हक अपीलांट के प्रति छोड़ा था जिसे बिना सुने न्यायालय ने गलत तरीके से एक व्यक्ति की साजिस में आकर दिया गया निर्णय प्रथम दृष्टया अवैध है तथा इसके बाद जिस

राजस्व अपील प्राधिकारी

तरीके से भूमि को खुर्द–बुर्द किया तथा बैंक में रहन भूमि को बैंक को विना सुने तथा किसी भी खसरे में बिना हिस्सा अंकित किये पेश वाद में आंखे वन्द कर निर्णय पारित करना अनुचित व अवैध होने से तथा खरीदार जाला पुत्र सुखा को विना सुने तथा खसरा संख्या 561 की जो केवल अपीलांट की थी सभी के नाम कर देना तथा जिस आवेदन में नोटिस जारी हुए वो पेशी के दो दिन वाद डिलेवर होने के वावजूद तथा उक्त वाद में वादीनीगण देवा की पुत्री होने के संवंध में जिस झरी के सरपंच ने प्रमाण पत्र जारी किया है वो इन लड़कीयों के जन्म के समय खुद था ही नही तथा न ही उस समय यह पंचायत थी तथा न ही इस प्रमाण पत्र पर कोई दिनांक या आउटवर्ड नम्बर अंकित है इस प्रकार पुरी की पुरी कार्यवाही फर्जी तरीके से की हुई प्रमाणित होने से उक्त निर्णय को अपास्त कर उसके वाद किये गये सभी अंतरणों को अपास्त किये जाने का निर्देश दिये जाना न्यायोचित है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांटगण की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अपीलांटस ने अपने खेत की पत्थरबंदी का आवेदन पेश कर रखा था जो 28.12.2022 को निर्णित होने पर उसकी पालना हेतु हल्का पटवारी से मिलने पर उक्त आलोच्य आदेश की जानकारी हुई तब नकल हेतु आवेदन किया जो दिनांक 29.12.2022 को प्राप्त हुई इस प्रकार जानकारी की तारीख से कुछ विलम्ब हुआ है उसके समन हेतु प्राप्त आधार होने से समन किया जाना न्यायोचित है तथा ज्ञान होने की तारीख से अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता अपीलांटस की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम से जारी सम्मन पर व्यक्तिगत रूप से सम्यक तामील भी नहीं करवाई गई। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय द्वारा अपीलांटस को साक्ष्य सबूत एवं जबाव दावा पेश करने का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आलोच्य एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई। हस्तगत वाद दिनांक 31.10.2019 को अदम तकलीम में खारिज की गई थी, तत्पश्चात वाद को पुनः बरामद करने हेतु आवेदन पेश हुआ उसे एकपक्षीय स्वीकार कर मूल वाद को पुनः बरामद कर नंबर पर दर्ज किया गया। वाद में अपीलांटस को एक वार भी सम्मन जारी नहीं हुआ। वाद पत्रावली में संलग्न रजिस्टर्ड सम्मन में आगामी तारीख पेश दिनांक 04.02.2021 को अंकित की गई जबकि मूल वाद उस दरम्यान अदम तकलीम में खारिज था। इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर किये बिना विधि से परे जाकर अपीलांटस के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। मातहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व हस्तगत प्रकरण में तनकीयात कायम कर निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील को रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 121/2018 बअनवान चन्दू बनाम राउराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2022 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को साक्ष्य सबूत एवं जबाव दावा पेश करने का अवसर दिया जाकर बाद सुनवाई गुणावगुण पर तनकीवार विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.11.2023 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिभा लपिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 31.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर